कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-2151 /FP/UK/Others/40044/2019 :देहरादून:दिनांक: 14 मार्च, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–आपकी पत्र संख्या–1570/12–1 दिनांक 28–02–2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में कमियों के निराकरण के पश्चात् सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी सूचना अपूर्ण है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22–06–2022 के द्वारा लीज धारक को कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव की प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु लिखा गया था, जो कि उनके द्वारा वापस प्राप्त नहीं की गयी। प्रस्ताव में वांछित सभी सूचनाओं में प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संशोधित एवं संलग्न किया जाना था, जो कि नहीं की गयी हैं। अतः निम्नानुसार कमियों का निराकरण कर परिपूर्ण सूचना सम्बन्धितों द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी हैं :–

1. कमियों के पूर्णतः निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुये पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या–1 व 2 के प्रतिउत्तर में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि उल्लंघन के फलस्वरूप प्रकरण पर सम्बन्धितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।
3. बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत लीज भूमि पर लीजधारक द्वारा किसान सेवा केन्द्र संचालित करने के स्थान पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत वन भूमि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में लीज धारक के विरूद्ध विभाग स्तर से क्या कार्यवाही की गयी।
4. बिन्दु संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना है।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग–।। में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–6371/14–2–578/74 दिनांक 26–06–1978 में उल्लेख किया गया है कि यदि लीजधारक जिलाधिकारी जनपद–नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पंम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उक्त भूमि पर किसान सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पंम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुकूल है।
7. बिन्दु संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रस्तााावक विभाग द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।
8. बिन्दु संख्या–7 के अनुपालन प्रस्ताव वापस प्राप्त करने के उपरान्त त्रुटि का निराकरण प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में किया जाना अपेक्षित है।
9. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों में दिनांक एवं संख्या अंकित कर सभी रिक्त स्थानों पर वांछित सूचना (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों) भरी जानी है।
10. बिन्दु संख्या–9 के निराकरण की सूचना प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न की जानी है।

11. बिन्दु संख्या–10 के निराकरण की सूचना (एन0पी0वी0 दरों का प्रमाण–पत्र) प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न की जानी है।

12. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–46 में प्रेषित सूचना के अनुरूप (प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में) आवश्यक संशोधन किया जाय।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/लीज धारक को सूचित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं कमियों के पूर्णतः निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः–2151 /FP/UK/Others/40044/2019 दिनॉकित।

1. **प्रतिलिपि** :– प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण/समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपि** :– श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर, रानीखेत रोड़, रामनगर (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

14/3/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।